न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सदस्य ग्वालियर म0प्र0

(39)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी- 3175/2018/रीवा/भू.रा.

सुरेश कुमार तनय गुरौलिहा प्रजापति निवासी ग्राम नाउनकला तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0। ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. दयाशंकर तनय गुरौलिहा प्रजापति निवासी ग्राम नाउनकला तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2. मु. कंजी बेवा पत्नी गुरौलिहा प्रजापति निवासी ग्राम नाउनकला तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0।

......................गैरनिगरानीकर्तागण

श्री .... द्वारा आज दि. 24.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28.5.18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 24.5.18

निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के अपील प्रकरण कमांक 30ए/6/2017-18 पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 के आदेश को निरस्त किये जाने निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

24/05/18

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

जो कि आराजी नंबर 1141/1क रकवा 0.109 हे0, 1149/3 रकवा 0.109 हे0, 1158/3 रकवा 0.019 हे0 स्थित भूमि ग्राम नाउन खुर्द पटवारी हल्का मझिगवां तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के पैत्रिक भूमि स्व0 गुरौलिहा जो निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 के पिता है जिसमे गैरनिगरानीकर्ता कमांक 3 मु0 कंजी पत्नी है। जिनके मृत्यु पश्चात वैधानिक रूप से विधिक वारिसाना नामांतरण पंजी कमांक 15 निर्णय दिनांक 12/09/2004 को सरपंच ग्राम पंचायत नाउन खुर्द के द्वारा निष्पादित किया गया उस

XXIX(a)-BR(H)-11

(39)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3175/2018/रीवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 30/अ-6/17-18 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) **सदस्य**	